राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः प.1(1)चिस्वा/ग्रुप–2/2020 जयपुर, दिनांक : 06.05.2021

<u>अधिसूचना</u>

विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 16.12.2020 के द्वारा राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 की धारा 4 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा आम नागरिकों के लिए राज्य में स्थित निजी चिकित्सालयों में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए अधिसूचना दिनांक 03.09.2020 के उप बिन्दु "दवाऐं जिनकी दर पैकेज में सम्मिलित नहीं हैं" में क्रम संख्या एक पर अंकित Inj. Remdesivir 100 mg की अधिकतम दरें 4000/– रूपए के स्थान 2800/– रूपए निर्धारित की गई थी।

उक्त अधिसूचना की निरन्तरता में स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे निजी चिकित्सालय जिनको Inj. Remdesivir 100 mg की आपूर्ति राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कारपोरेशन द्वारा की जा रही है, उनमें Inj. Remdesivir 100 mg की अधिकतम दरें राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कारपोरेशन द्वारा निर्धारित दरों से अधिक नहीं होगी तथा शेष निजी चिकित्सालयों में Inj. Remdesivir 100 mg की अधिकतम दरें MRP से अधिक नहीं होगी।

सिद्धार्थ

(सिद्धार्थ महाजन)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय/ मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय
3. वरिष्ठ उप सचिव, मा. मुख्य सचिव महोदय।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
7. निजी सचिव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी, जयपुर।
8. समस्त जिला कलक्टर, राज.
9. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग
10. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, राज.
11. प्रबन्धक, समस्त निजी चिकित्सा संस्थान, राज.
12. समस्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर
13. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोन राज.
14. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राज./प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राज.
15. जन सम्पर्क अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज. जयपुर।

(संजय कुमार)
शासन उप सचिव